

सरबरक

[कायदा 129]

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B', Form No. 8]

2020
00050

20/10/20

12/1/21

18/3/21

20/5/21

22/7/21

5/10/21

15/3/22

21/6/22

1. नाम अदालत.....
S. D. M. बनेडा
2. नियम मुकदमा.....
111 व 128 L.R Act
3. उनवान मुकदमा.....
ग्रामपाल खाशेल र/स ग्रामपाल खाशेल वर्ग
4. नम्बर व सन् मुकदमा.....
44/2020
5. तारीख दायरा.....
11/3/2020
6. तारीख फंसला.....
फंसला 20-5-22
7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना.....
5/5/2020
8. बपील या निगरानी की तारीख फंसला.....
9. किसम मिसल या हिस्सा.....
ग्रामपाल
10. किसम रेकर्ड.....
ग्राम कल्याणपुरा
11. (अ) तारीख जिस पर की हिस्सा 'डी' तलफ करना है.....
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया.....
12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है.....
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया.....
13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है.....
(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया.....
14. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है.....



FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App. A

Crim - 1

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा


रासपाल खारोला वगैरे

बनाम रासपाल खारोला वगैरे

किस्म मुकदमा 111 व 128 L.R. Act

नं. 44 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/3/2020		
	<p>वकील यादव द्वारा प्र.पत्र पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 L.R. Act</p> <p>विरुद्ध विपक्षी गल पेश किया गया। प्र.पत्र पत्र बाद जाँच</p> <p>दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गल की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक</p> <p>5/5/2020 को पेश हो</p> <p>5/5/20</p> <p>पत्रावली पेश हुई उक्त पत्र उपस्थित पितासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/वारे आवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/10/20 को पेश हो।</p> <p>13/10/20</p> <p>आज्ञा से रीडर</p> <p>पत्रावली पेश हुई उक्त पत्र उपस्थित पितासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/वारे आवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/10/20 को पेश हो।</p> <p>20/10/20</p> <p>आज्ञा से रीडर</p>	

तारीख हुक्म 44 / 2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/22	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कल्याणपुरा जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ोसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 44 /2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1- रामपाल पिता बट्टी खारोल निवासी कल्याणपुरा
- 2- जशोदा पुत्री बट्टी ना.बा.व.वि. बहिन भगवानी पुत्री बट्टी खारोल निवासी कल्याणपुरा
- 3- भगवानी पुत्री बट्टी खारोल निवासी कल्याणपुरा
- 4- खानी पुत्री रायमल खारोल निवासी कल्याणपुरा

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- रामलाल पिता लक्ष्मण खारोल निवासी श्रीजीका खेड़ा
- 2- सांवता पिता उदा खारोल निवासी कल्याणपुरा
- 3- नारायण पिता राजू खारोल निवासी श्रीजीका खेड़ा
- 4- शंकर पिता भेरू खारोल निवासी कल्याणपुरा
- 5- तहसीलदार बनेड़ा

—विपक्षीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कल्याणपुरा प०ह० सुल्तानगढ भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 148, 179/2, 179/3, 219, 317, 318, 321 कुल किता 7 रकबा 4-15 बीघा के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम कल्याणपुरा प०ह० 3 भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 148, 179/2, 179/3, 219, 317, 318, 321 कुल किता 7 रकबा 4-15 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।



// आदेश //


प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणपुरा प0ह0 सुल्तानगढ भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 148, 179/2, 179/3, 219, 317, 318, 321 कुल किता 7 रकबा 4-15 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा